INDIA दस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(493)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा.10/2017/2854

प्रभुलाल पुत्र कमरलाल

निवासी–कलुआ (महुआखेड़ा)

तहसील–सिरोंज, जिला–विदिशा

विरूद्व

1. मोह. इसरार खां
2. मोह. सरवर खां
3. मोह. वसीम खां पुत्रगण स्व.मोह. वशीर खां
4. सजिदा बी पुत्री स्व.मोह. वशीर खां
5. शाहिदा बी विधवा स्व.मोह.वशीर खां

समस्त जाति मुसलमान व्यवसाय कृषि निवासीगण मौहल्ला नयापुरा सिरोंज जिला–विदिशा म.प्र.

6. विस्सू पुत्र बलदेव सिंह
7. नारायण सिंह
8. कोमल सिंह
9. कबूल सिंह पुत्रगण स्व.कन्हैयालाल
10. कमला बाई पुत्री स्व.कन्हैयालाल
11. मचला बाई पुत्री स्व.कन्हैयालाल
12. पिस्ता बाई पुत्री स्व.कन्हैयालाल
13. बल्लो बाई पुत्री स्व.कन्हैयालाल
14. राजो बाई पुत्री स्व.कन्हैयालाल
15. गीता बाई पत्री स्व.कन्हैयालाल

निवासीगण ग्राम अरसखेड़ा तहसील–आरोन जिला–गुना म.प्र.

श्री S.K. Vajpai Adv द्वारा आज दि. 23/8/2017 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Belapurkar 23/8/2017

(3)

16. कपूरी बाई पुत्री दरयाव सिंह

17. फुल्लो बाई पुत्री दरयाव सिंह

18. रमेश पुत्र अमोल सिंह

19. नारायणी बाई पुत्री अमोल सिंह

20. भागबाई पुत्री अमोल सिंह

21. दुर्गाबाई पुत्री अमोल सिंह

निवासीगण ग्राम–कलुआ (महुआखेड़ा)

तहसील–सिंरोज, जिला–विदिशा म.प्र.

22. बनवारी लाल पुत्र हरनाम सिंह

निवासी ग्राम पोनियाखेड़ा तहसील–सिरोंज

जिला–विदिशा म.प्र.

23. जगत सिंह पुत्र मेहरवान सिंह दांगी

निवासी ग्राम महादेवखेड़ी तहसील–सिरोंज

जिला–विदिशा म.प्र.

नायब तहसीलदार सिंरोंज जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/ए–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06/07/2017 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण हेतु दिये गये मूल आवेदन एवं उसके उत्तर में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार किये बिना विवादित आदेश पारित किया है जो अनुचित एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अनावेदक–1 से 5 ने 12/06/1966 के तथाकथित विक्रय पत्रो के आधार पर नामांतरण हेतु 50 वर्ष बाद दिनांक 13/12/2016 को आवेदन प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही राजस्व न्यायालय के समक्ष विचार योग्य नहीं है क्योंकि 50 वर्षो में भूमि के स्वत्व, आधिपत्य एवं बटांकन आदि के द्वारा जो परिवर्ततन हुये है उनके प्रकाश में तथाकथित क्रेताओं को व्यवहार न्यायालय के समक्ष अपने स्वत्व की घोषणा हेतु आवश्यक कार्यवाहीं करना चाहिये।

3. यह कि, आवेदक ने नामांतरण आवेदन, उसके उत्तर तथा राजस्व अभिलेखो में हुये परिवर्तनो को दर्शाते हुये व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–14 नियम–5 तथा संहिता की धारा–43 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना की थी कि अभिलेख पर लाये गये तथ्यो

XXIX(a)-BR(H)-11

493

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2854

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	